

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:—16/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

हरप्रीत सिंह पुत्र मानसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं0 01, पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975



उपस्थित:—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. गैरसायल स्वयं।

निर्णय

दिनांक:—06.01.2022

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना संगरिया द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल हरप्रीत सिंह पुत्र मानसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 01, पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खार्इवाली करने एवं अवैध हथकड़ देशी शराब बेचने में सक्रिय है। गैरसायल सट्टा की खार्इवाली, अवैध देशी शराब बेचकर आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। कस्बा संगरिया के लोग इससे काफी भयभीत रहते हैं। इसको सट्टा की खार्इवाली, अवैध शराब का धंधा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना संगरिया के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न 8 अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	मु. नं.	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	653/11.11.16	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
2	674/12.11.16	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
3	201/10.04.17	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
4	210/17.04.17	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
5	229/28.4.17	13 आरपीजीओ	चालान	सजा
6	330/8.6.18	13 आरपीजीओ	चालान	जैर तजबीज न्यायालय
7	515/22.10.18	16/54 आबकारी	चालान	जैर तजबीज न्यायालय
8	576/23.11.18	13 आरपीजीओ	चालान	जैर तजबीज न्यायालय

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावें।

W

गैरसायल हरप्रीत सिंह पुत्र मानसिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 01, पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर किया जावे।


गैरसायल ने उपस्थित होकर इस्तगासा के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे राज. पब्लिक गैबलिंग ऑर्डिनेंस एवं एक प्रकरण राज. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत हैं जो स्थानीय पुलिस थाना द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर रजिश्चर किये गये थे। इसके बाद प्रार्थी पर कोई मुकदमा नहीं है। प्रार्थी वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं कर दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल ने कथन किया कि मेरे खिलाफ सन 2018 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी का चाल चलन सही है। प्रार्थी सट्टे की खाईवाली नहीं करेगा व ना ही अवैध हथकड़ शराब बेचेगा। प्रार्थी शांतिपूर्वक रहेगा एवं किसी के साथ कोई विवाद अथवा झगड़ा फसाद नहीं करेगा व ना ही ऐसा कोई आपराधिक कृत्य करेगा। प्रार्थी श्रीमानजी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं आदेशों की पालना करता रहेगा। प्रार्थी भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा एवं इलाके में अमन शांति व्यवस्था बनाए रखने बाबत अपने आप को पाबंद करता है। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रुख अपनाते हुए इसके विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V,III) में वर्णित अपराध कारित किये हैं जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को धारा 13 आरपीजीओ. में 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2018 तक दर्ज किये गये हैं इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, संगरिया ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी आज तक शांति बनाए रखी है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, संगरिया द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना, संगरिया को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़